न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 31/2019 अपील/प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 04.11.2019
निर्णय दिनांक– 22.01.2020

श्री रामचन्द्र पिता पेमा जी कुम्हार निवासी अमलावद तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान)

.... अपीलान्ट

बनाम

श्री सरकार जरिए नायब तहसीलदार देवगढ़ तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान)

..................रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री योगेन्द्र दशोरा,राजकीय अभिभाषकः अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़
के प्रकरण संख्या 10/2018 निर्णय दिनांक 27.06.2019 एवं कार्यवाही
नायब तहसीलदार देवगढ़ के मु.नं. 86/2017 निर्णय दिनांक 18.09.2017

निर्णय

दिनांक : 22.01.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 10/2018 निर्णय दिनांक 27.06.2019 एवं कार्यवाही नायब तहसीलदार देवगढ़ के मु.नं. 86/2017 दिनांक 18.09.2017 विरूद्ध दिनांक 04.11.2019 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अमलावद की आराजी संख्या 900 रकबा 0.80 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर किस्म चरनोट भूमि से नायब तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 86/2017 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2017 में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित करने पर एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ में प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 10/2018

निर्णय दिनांक 27.06.2019 से अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देवगढ़ द्वारा धारा 91 की कार्यवाही को उचित उचित मानते हुए अपीलान्ट की अपील को खारिज कर दिया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से अभिलेख पत्रवालियॉ मंगवाई गई। अपीलान्ट की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को सर्वप्रथम मयाद पर सुना गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित में अपील मेमों के तथ्यों को दोहराते है। ग्रामीण अशिक्षित काश्तकार को देखते हुए उचित कारण होने से न्यायहित में मयाद कण्डोन करने हेतु निवेदन किया। बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देवगढ़ द्वारा अपीलांट/ विपक्षी की अनुपस्थिति में एकतरफा में उक्त निर्णय साइकलोस्टाईल पेपर पर होकर फील इन दी ब्लैंक की गई है, जबकि निर्णय में सम्पूर्ण तथ्य, साक्ष्य, जिरह, दस्तावेज प्रदर्श किये जाने चाहिये थे। इससे सुनवाई में पक्षकार का अपना सबूत दस्तावेज, साक्ष्य, जिरह मौका रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने तथा जिरह मौका मिलना चाहिये था, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का के बयान नहीं लेने न ही कोई दस्तावेज प्रदर्श करने न ही किसी स्वतंत्र गवाह के बयान नही हुए है न ही घटनाबही प्रस्तुत की न ही मौका पर्चा रिपोर्ट ही प्रस्तुत की गई। उक्त विवादित आराजी पर अपीलान्ट का 30–40 वर्षो से मकान बना हुआ होकर परिवार सहित निवास कर रहा है एवं सभी मूलभूत सिवधाएँ बिजली, पानी, कनेक्शन, राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि बने हुए है। अपीलान्ट के पास उक्त आवास गृह के अतिरिक्त गांव में अन्य कोई आवास उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 13.01.1984, 07.10.1998, 15.01. 2013, 15.02.2013 को नियमन कराने हेतु सहमति दे दी गई है जो विचाराधीन है। इसमें कृषि चरनोट भूमि से बिलानाम कर आवंटन योग्य होने एवं निवास हेतु आवश्यक एवं उपर्युक्त होने ग्रामवासियों के हितार्थ प्रस्ताव भेजे हुए है। चरनोट को बिलानाम करने हेतु 35 वर्ष पूर्व से ही प्रस्ताव दे रखे है उसी विश्वास से ही बाप–दादाओं के समय से सद्भाविक रूप से 30–40 वर्षो से मकान बनाकर आज तक निर्बाध रूप से सद्भावित कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट नियमन की पात्रता रखता है। ग्राम अमलावद के काफी ग्रामवासियों ने कब्जा कर रखा है जिसके विरूद्ध भी नाजायज कब्जे की कार्यवाही की गई, जिस पर अपीलीय न्यायालय ने करीबन 30 प्रकरण को नियमन योग्य मानकर रिमाण्ड किये, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर से

संबंधित कार्यालय में बार–बार पता करने पर फैसला नहीं हुआ है, ऐसा बार–बार बताते रहे। प्रथम जानकारी दिनांक 14.10.2019 को संबंधित अपीलीय न्यायालय से दी गई कि निर्णय हो चुका है, जिसपर दिनांक 24.10.2019 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 24.10.2019 को नकल प्राप्त हुई। बिना देरी किये हुए जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की है। पूर्व का समय दिनांक 27.06.2019 से 14.10.2019 तक का समय क्षम्य फरमाया जावे। अतः अपील बहक अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय औचित्यपूर्ण होकर तथ्य एवं कानून सम्मत है। अपीलान्ट द्वारा अतिचारी/ अतिक्रमी के रूप में अतिक्रमित भूमि किस्म चरनोट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी होने से नियमन/आवंटन योग्य नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज जाए। उक्त विवादित आराजी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत डी.बी. सिविल रीट संख्या 446/2019 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2019 से अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देवगढ़ द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की होने से धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 विधिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज करने का निवेदन किया गया।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों/अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम पर निर्णय करना उचित समझते है। मयाद बिन्दु पर उभय पक्षों को सुनने के बाद अखण्डित शपथ–पत्र एवं न्यायहित में मयाद मण्डोन की जाकर अपील श्रवणाधिकार ग्रहण की जाती है।

अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.06.2016 में की गई विवेचना "प्रकरण में वर्णित आराजी संख्या 900 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किस्म चरनोट दर्ज होना दर्शित रिकार्ड पाया है। प्रश्नगत प्रकरण में वर्णित विवादित भूमि आराजी संख्या 900 कुल रकबा 0.80 हैक्टर भूमि/भू–खण्डों की भूमि उपलब्ध रिकार्ड एवं रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ क्रमांक : राजस्व/2019/ 48 दिनांक 18.03.2019 के अनुसार उक्त भूमियां नीमच–प्रतापगढ़ मार्ग (MDR-15) की भूमिया आराजी संख्या 570 एवं 841 से लगी होकर सड़क सीमा तथा किस्म चरनोट पर अनाधिकृत अतिक्रमित भूमियां होने से अपीलार्थीगण के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही प्रभावी रखा जाना युक्ति–युक्त प्रतीत होता है। इस स्थिति में अपीलार्थीगणों द्वारा अतिक्रमित भूमि वर्तमान चरनोर्ट आराजी संख्या 900 रकबा 0.80 हैक्टर मे से अधिकांश अपीलार्थीगण द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति अधिकार के अधिभोग में लिया जा रहा है जिससे उक्त भूमि पर हुए अतिक्रमण के फलस्वरूप आगामी समय में किस्म रास्ता भूमि आराजी

संख्या 570 एवं 841 के बाधित होने तथा उक्त सड़क मार्ग को आगामी समय में चौड़ाईकरण के दौरान बाधा उत्पन्न होगी तथा उक्त भूमि के अधिगृहण की स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा बिना वजह बाधाए उत्पन्न की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही उचित रहा है। साथ ही दौराने बहस पैराकार सरकार द्वारा किये गये निवेदन अनुसार ग्राम की आराजी संख्या 900 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत डी.बी. सिविल रीट संख्या 446/2019 अन्तर्गत पारीत निर्णय दिनांक 15.01.2019 के अनुसार भी उक्त भूमियों के अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश जारी किये हुए है।'' के अनुसार पारित निर्णय दिनांक 27.06.2019 से अपील अपीलार्थी खारीज किया जाना अधीनस्थ न्यायालय ने वर्णित किया है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा भूमि चारागाह की नहीं होने बाबत् कोई प्रभावी साक्ष्य नहीं दी है तथा निर्विवादित रूप से भूमि चरागाह की है। चरागाह की भूमि सार्वजनिक उपयोग की होकर प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के जगतपाल सिंह प्रकरण में दिये गये निर्णय अनुसार चरागाह की भूमिया आवंटन/ नियमन नहीं की जा सकती है। उक्त चरागाह की भूमि पर आवेदक का कब्जा 30-40 वर्षो पुराना हो ऐसी भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा उक्त चरागाह भूमि को निरस्त किये जाने का कोई प्रस्ताव भी रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय सदैव प्रक्रिया से उच्चतर होता है। अपीलान्ट द्वारा जो तकनीकी आधार लिये गये है यथा साईक्लोस्टाईल निर्णय होना, साक्ष्य सबूत का अवसर नहीं दिया जाना इत्यादि, इन सबसे भूमि का चरागाह होना एवं उस पर अतिक्रमण होना तथा चरागाह के नियमन योग्य नहीं होना आदि का खण्डन नहीं होता। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर RRD 1997 पेज 544, RRD 1996 पेज 480, RBJ(21) 2014 पेज 385 एवं RRD April, 2005 पेज 221 प्रस्तुत की है, जिनके तथ्य व परिस्थितिया इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को स्वंय की प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय अपीलान्ट को पूर्ण अवसर उपलब्ध रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के समस्त उजरात पर विवेचन करते हुए तर्कसंगत, तथ्यात्मक एवं विधि रूप से उचित सकारण भूमि के सड़क सीमा में होने, चरागाह की होने एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नायब तहसीलदार के अतिक्रमण हटाने के निर्णय को बहाल रखते हुए अपीलान्ट की प्रथम अपील खारीज की है, जिसे हम उचित मानते है एवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जाती है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 22/01/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर